

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082021-229169
SG-DL-E-20082021-229169

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 141
No. 239]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 141

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली फार्मसी परिषद चुनाव 2021

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

फा.सं.एफ.100/2021/रओ/स्था/डीपीसीचुनाव/एस एल ए/पी एस/2021/531 दिनांक 13.08.2021.—
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश एफ.नं. एफ.100/एचएंडएफडब्ल्यू/2019/काउंसिल/ डीपीसी/पीटी.
फाइल/2736-2743 दिनांक 17.12.2020 के साथ दिल्ली फार्मसी परिषद को विनियमों के अनुपालन में यह अधिनामांकित जाता
है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य फार्मसी परिषद के छह (6) सदस्यों के नाम के चुनाव निम्न उल्लेखित विवरण के
अनुसार होंगे

- | | | | |
|----|------------------------------------|----------|------------------------------|
| 1. | नामांकन की अंतिम तिथि | शनिवार | 11.09.2021 (अप. 4 बजे तक) |
| 2. | नामांकनों की जांच | सोमवार | 13.09.2021 को दोप. 12 बजे |
| 3. | नामांकन वापिस लेने की तिथि | शुक्रवार | 17.09.2021 को दोप. 12 बजे तक |
| 4. | नियम 6(11) के अंतर्गत मतपत्र भेजना | शुक्रवार | 01.10.2021 |
| 5. | मतपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि | सोमवार | 01.11.2021 (सायं 5 बजे तक) |

(पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से)

6. वोट की गिनती करने की तिथि मंगलवार 02.11.2021 को प्रातः 10 बजे से
7. परिणाम घोषित करने की तिथि मंगलवार 02.11.2021 (वोट की गिनती समाप्त होने पर)

प्रपत्र क

नियम 5

चुनाव की सूचना

फा.सं. एफ.100/2021/रओ/स्था/डीपीसीचुनाव/एस एल ए/पी एस/2021/531 दिनांक 13.08.2021.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य फार्मसी परिषद के छह (6) सदस्यों का चुनाव एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य फार्मसी परिषद के विनियमों एवं नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसरण में 1 नवंबर, 2026 तक के सेवा काल हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य फार्मसी परिषद के छह (6) सदस्यों का चुनाव प्रस्तावित है। रिक्त पदों को भरने हेतु योग्य व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित हैं।

प्रत्येक उम्मीदवार पृथक नामांकन पत्र में नामांकित होना चाहिए। चुनाव में मतदान का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति किसी भी सदस्य उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। लेकिन यह चयनित संख्या से अधिक और जिसके लिए वह मतदान का अधिकार रखता है के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक नामांकन पत्र नियम 6 (3) के फॉर्म बी में होना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक जानकारी दी गई हो।

नामांकन पत्र 11 सितम्बर, 2021 को (अप. 4.00 बजे तक) अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाने चाहिए जिनसे आवेदन में नामांकन पत्र के फॉर्म प्राप्त किये जा सकते हैं।

नियमों के पाट.1 के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले या उपरोक्त तिथि व समय तक निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं पहुंचने वाले नामांकन पत्र अवैध माने जाएंगे।

राज कुमार, निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, DELHI PHARMACY COUNCIL ELECTIONS 2021

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2021

F. No. 100/2021/R.O/Estt./DPC Election/SLA/PS/2021/531 Dated 13.08.2021.—In exercise of the powers conferred by the Govt. of NCT of Delhi vide order No. F.No. F.100/H&FW/2019/Council/DPC/Pt. file/2736-2743 dated 17.12.2020 read with regulations of Delhi Pharmacy Council and in pursuant thereof it is hereby notified that the Elections of the Six elected members of Delhi Pharmacy Council in the NCT of Delhi is scheduled to be held as per details mentioned below:

1.	Last Day of Nomination	Saturday	11.09.2021 (Upto 4pm)
2.	Scrutiny of Nominations	Monday	13.09.2021 at 12 Noon
3.	Day for Withdrawal of Nominations	Friday	17.09.2021 upto 12 Noon
4.	Sending of Voting Papers under Rule 6 (11)	Friday	01.10.2021
5.	Last Day for receiving the Voting Papers (Through Registered/Speed Post)	Monday	01.11.2021 (Upto 5 pm)
6.	Day for Counting of Votes	Tuesday	02.11.2021 10 AM onwards
7.	Declaration of Result	Tuesday	02.11.2021 (on completion of Counting).

FORM A**RULE 5****NOTICE OF ELECTION**

F. No. 100/2021/R.O/Estt. /DPC Election/SLA/PS/2021/531 Dated 13.08.2021.—Election of Six (6) members of the State Pharmacy Council of the National Capital Territory of Delhi

Notice is hereby given pursuant to provisions of Rule 5, of the Rules and Regulation in the State Pharmacy Council of the National Capital Territory of Delhi, that the election of Six (6) members of the State Pharmacy Council of the National Capital Territory of Delhi to serve during the period expiring on 1st November, 2026 is about to be held.

Nominations of eligible persons to fill the vacancy are invited.

Each candidate must be nominated by a separate nomination paper, but any person entitled to vote at the election may sign the nomination paper of any member of candidates not exceeding the member to be elected and for which he is entitled to vote.

Every nomination paper must be in the Form B to Rule 6 (3) giving all the details required therein.

The nomination paper must reach the under signed not later than 11th day of September, 2021 (by 4:00 pm) from whom forms of nomination papers may be obtained in application.

Nomination Papers in respect of which provisions of part-I of the Rules have not been complied with, or which are not received by the Returning Officer by the aforesaid date & Time will be invalid.

RAJ KUMAR, Returning Officer